न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 306-पीबीआर14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-2-2014 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 183/अपील/2012-13.

---

1. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी स्व. नाथूराम
2. लखनसिंह पुत्र स्व. नाथूराम
3. धनीराम पुत्र स्व. नाथूराम
4. पार्वतीबाई पुत्री स्व. नाथूराम
5. बल्लोबाई पुत्री स्व. नाथूराम

निवासीगण ग्राम बैरागढ़ कला
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. नारायण सिंह पुत्र मोतीराम (मृतक) द्वारा वारिसान
   (1) हुकुम सिंह पुत्र नारायण सिंह
   (2) तुलसाबाई पुत्री नारायण सिंह
   (3) मुन्नीबाई पुत्री नारायण सिंह
   (4) लक्ष्मीबाई पुत्री नारायण सिंह
2. टीकाराम पुत्र नारायण सिंह

निवासीगण ग्राम बैरागढ़ कला
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री आर.एन. मालवीय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 10-2-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रेमबाई आदि ने संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत तहसीलदार, हुजूर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर 184 व 186 में कुंआ है, जिससे सिंचाई करते थे, किन्तु मृतक नारायण सिंह के पुत्रों ने कुंआ में मोटर डालने एवं पानी लेने से इन्कार कर दिया है, अत: इस अवरोध को हटाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 4-1-2002 को आवेदकगण को पानी लेने से नहीं रोकने के अंतरिम आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक पक्ष द्वारा अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 8-2-2002 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2-9-2002 को आदेश पारित कर विस्तृत जांच हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । तदोपरान्त अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 6-1-2005 को आवेदक पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नजूल (शहर) भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-6-2005 को आदेश पारित कर स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक पक्ष द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक दिनांक 17-1-2006 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए संहिता की धारा 131 के तहत पुन: विधिवत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 117-पीबीआर/2006 प्रस्तुत किया गया । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 13-5-2009 को आदेश पारित कर निगरानी खारिज की गई । तत्पश्चात तहसीलदार नजूल बैरागढ़ भोपाल द्वारा 18-2-2013 को आदेश पारित कर आवेदक पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27-7-2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक पक्ष द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 10-2-

2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष यह बताया गया था कि उभय पक्ष की भूमि के मेढ़ में स्थित कुंए से विगत 50-60 वर्ष से अपनी भूमि की सिंचाई हेतु पानी ले रहे हैं । इस सम्बन्ध में कृषि अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भी दी गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कुंए से सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन भी लिया गया है । वर्ष 2001 में मोटर खराब होने के कारण अनावेदक पक्ष ने पानी लेने में अवरोध उत्पन्न किया गया था, जिस पर अपर तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त आवेदकगण के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित किया था । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व मण्डल से निगरानी खारिज होने के उपरान्त तहसील न्यायालय को स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा रूढि बावत् स्वयं स्थल निरीक्षण किये बिना, पृथक से कोई टीप अंकित किये बिना एवं आवेदक पक्ष को सुनवाई एवं गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं कर अभिलेख के विपरीत आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्थल पंचनामा में तथ्यों एवं साक्ष्यों की अवहेलना की गई है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि स्थल पर सिंचाई की नालिया बनी हुई हैं और प्रश्नाधीन कुंए से सिंचाई करने का प्रमाण मौजूद है, किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पास कोई ट्यूबवैल नहीं है और न ही ट्यूबवैल से सिंचाई कर रहे हैं उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वरिष्ठ न्यायालयों के प्रत्यवर्तन आदेशों के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत जांच उपरांत साक्ष्यों एवं अभिलेख के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1982 आर.एन. 11, 1985 आर.एन. 279, 1971 आर.एन. 156 एवं 1988 आर.एन. 292 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन कुंए के सम्बन्ध में मंडल तक चले निगरानी प्रकरण क्रमांक 117-पीबीआर/2006 में मंडल द्वारा दिनांक 13-5-2009 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का प्रत्यावर्तन आदेश यथावत रखा गया है । प्रकरण प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन कुंए से रूढिगत सिंचाई करने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं होने के कारण आवेदकगण का संहिता की धारा 131 का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय ने वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण का दावा सम्यक रूप से प्रमाणित नहीं पाये जाने पर उक्त दावे की जांच के प्रकरण प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन कुंआ अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि पर निर्मित होकर उनके आधिपत्य में है । जहां तक प्रश्नाधीन कुंए से पानी लेने का रूढि का प्रश्न है, उक्त प्रश्न किसी भी न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में अविवादित प्रमाणित नहीं पाया है । अत: स्थल निरीक्षण में आवेदकगण का दावा प्रमाणित नहीं होने पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । आयुक्त द्वारा भी विवेचना उपरांत इस निष्कर्ष के साथ तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखा गया है कि आवेदकगण द्वारा ट्यूबवैल का खनन कराया जाना साक्ष्य से प्रमाणित है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समतर्वी निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्ताक्षेप योग्य नहीं हैं । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 10-2-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती हे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर